



संदर्भ सं : SU/REG/F-2/50/2018/VoI-I/1649

दिनांक: 07... जनवरी 2019

अधिसूचना - 02 /2019

यूजीसी के (उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों और महिला कर्मचारियों पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम 2015 की धारा 4 को पढ़ते हुए कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अनुपालन में दिनांक 28 अगस्त 2018 को जारी अधिसूचना सं -103/2018 द्वारा विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। आंतरिक शिकायत समिति को मजबूत करने के उद्देश्य से कुलपति महोदय ने आंतरिक शिकायत समिति में निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्यों को तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया है। इन सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना- 103/2018 के जारी होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए होंगे।

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	पदभार
1.	डॉ. ए.एन.शंकर सह प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग	सदस्य
2.	डॉ. सुजाता उपाध्याय सहायक प्राध्यापक, उद्यानिकी विभाग	सदस्य
3.	सुश्री डेकिला भूटिया सहायक प्राध्यापक, विधि विभाग	सदस्य
4.	डॉ. नम्रता सहायक प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग	सदस्य
5.	श्री निषाद सुब्बा सहायक (प्रशासनिक अनुभाग)	सदस्य

तेज कृष्ण कौल
(टी.के.कौल)

कुलसचिव

कुलसचिव

Registrar

सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University

वितरण :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी
4. परीक्षा नियंत्रक
5. पुस्तकालयाध्यक्ष
6. सभी अध्ययन विद्यापीठों के डीन
7. डीन, छात्र कल्याण
8. सभी विभागों के अध्यक्ष/प्रभारी
9. उपर्युक्त सभी सदस्य
10. डॉ. स्वाती अक्षय सचदेवा, पीठासीन अधिकारी, आ.शि.स
11. सिस्टम मैनेजमेंट अनुभाग
12. सभी सूचना पट
13. सुरक्षा फाइल